

न्यायालय अनुमंडल दण्डाधिकारी, बगोदर सरिया (गिरिडीह)

30/7/15

वाद संख्या 326/15

21-80-12

किशुन मादव वर्मा

बनाम

ज्ञानी मादव वर्मा

प्रथम पक्ष

द्वितीय पक्ष

धारा 144 दं० प्र० सं० के अन्तर्गत कार्यवाही / नोटिस।

स्थानीय पुलिस

बगोदर

थाना से प्राप्त प्रतिवेदन, जिसे पुलिस निरीक्षक द्वारा अग्रसरित किया गया है, के

अवलोकन से ऐसा प्रतीत होता है कि

भूमि विवाद

के कारण उभय पक्ष के बीच शांति-भंग होने की आशंका है एवं उभय पक्ष टकराव के लिए तत्पर है, जिसके कारण उस क्षेत्र में शांति-भंग, खून-खराबा तथा उपद्रव हो सकता है, जो मेरे अधिकार क्षेत्र में आता है। इस बात से मैं संतुष्ट हूँ कि इस मामले में टकराव को दूर करने तथा इलाके में शांति बनाये रखने के लिए निरोधात्मक कार्रवाई आवश्यक है।

इन तथ्यों में आलोक में उभय पक्ष के विरुद्ध धारा 144 दं० प्र० सं० के अन्तर्गत कार्यवाही प्रारम्भ किया जाता है तथा उभय पक्ष को 60 दिनों के लिए विवादग्रस्त भूमि पर या उसके नजदीक जाने अथवा किसी भी तरह का कार्य करने के लिए प्रतिबंधित किया जाता है तथा रोका जाता है साथ ही उभय पक्ष से दिनांक 14/08/2015 के कारण-पृच्छा की मांग की जाती है कि क्यों नहीं एक या दोनों पक्षों के विरुद्ध निरोधात्मक आदेश को सम्पुष्ट किया जाय।

विवादाग्रस्त भूमि का विवरण

मौजा - बगोदरडीह, थाना - बगोदर
 रकारा नं० - 907/542, टोपार नं० - 7229 रकबा - एकड़ 4 सीक
 नैटिमी :- 3 - जंगल काड़ी, दं० - जंगल काड़ी, पू० - मीथ आर

मैलापिन

अनु० 30/8/15

अनु० 30/8/15
 बगोदर-सरिया

14-08-15

उभय पक्ष अनु०।

अभिलेख 21/08/15 की शर्तें

अनु० 30/8/15

पिढासीन पदां अन्य कार्य में व्यस्त।

अभिलेख 02-09-15 की रतीं

अनु० दण्ड०

02-09-15 प्रथम पक्ष वकालतन हालिर है।

द्वितीय पक्ष अनु०।

पिढासीन पदां अन्य कार्य में व्यस्त।

अभिलेख 11-09-15 की रतीं

अनु० दण्ड०

11-09-15 प्रथम पक्ष वकालतन हालिर एवं कारणपुट्टा दाखिल किया गया।

द्वितीय पक्ष अनु० | पिढासीन पदां अन्य कार्य में व्यस्त।

अभिलेख 23/09/15 की रतीं

अनु० दण्ड०

23-09-15 प्रथम पक्ष वकालतन हालिर है।

द्वितीय पक्ष अनु०।

अभिलेख 30/9/15 की रतीं

अनु० दण्ड०

30/9/15 तृतीय पक्ष अनु०।

पिढासीन पदां अन्य कार्य में व्यस्त।

अभिलेख 14/10/15 की रतीं

अनु० दण्ड०

14/10/15 अभिलेख उपस्थापित।

वाद की प्रकिया की कालावधि

समाप्त होने के कारण वाद की कार्यवाही

समाप्त की जा रही है।

312

14/10/15

अनु० दण्ड०

वर्गादर - (स/प)